खण्ड–21, अंक–2
मंगलवार, 14 फाल्गुन, शक संवत्, 1929
(04 मार्च, 2008 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2008)

(खण्ड 21 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2008

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
नियम 310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर चर्चा किये जाने की मांग	1–7
प्रश्नोत्तर ...	8–22
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	23
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	23
उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 (अधिनियमित होने की घोषणा)	23
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 (अधिनियमित होने की घोषणा)	23
उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (अधिनियमित होने की घोषणा)	24
उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	24
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट में स्थित नहासैंण पट्टी बनेलस्यूँ में चिकित्सालय/डिस्पैन्सरी खोलने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	24
जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तुणखाल, हीराखाल, बखण्डी, हल्का मोटर मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	25
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	25–26

"क"

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अनिल नौटियाल
3—श्रीमती अमृता रावत
4—श्रीमती आशा
5—श्री ओम गोपाल
6—श्री करन मेहरा
7—सुश्री कैरन हिल्टन
8—श्री किशोर उपाध्याय
9—श्री केदार सिंह
10—श्री केदार सिंह फोनिया
11—श्री खजान दास
12—श्री खड़क सिंह बोहरा
13—श्री गगन सिंह
14—श्री गणेश जोशी
15—श्री गोपाल सिंह राणा
16—श्री गोपाल सिंह रावत
17—श्री गोविन्द लाल
18—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20—श्री चन्दन राम दास
21—श्री जोगा राम टम्टा
22—श्री जोत सिंह गुनसोला
23—हाजी तस्लीम अहमद
24—श्री तिलक राज बेहड़
25—श्री दिनेश अग्रवाल
26—श्री दिवान सिंह
27—श्री नारायण पाल
28—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
29—श्री प्रकाश पन्त
30—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31—श्री प्रीतम सिंह
32—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
33—श्री प्रेमानन्द महाजन
34—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
35—श्री बलवीर सिंह नेगी
36—श्री बिशन सिंह चुफाल
37—श्री बंशीधर भगत
38—श्री बृज मोहन कोटवाल
39—श्री भगत सिंह कोश्यारी
40—श्री मदन कौशिक
41—श्री मनोज तिवारी
42—श्री मयूख सिंह
43—श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"
44—श्री मातबर सिंह कण्डारी
45—श्री मुन्ना सिंह चौहान
46—श्री यशपाल आर्य
47—श्री यशपाल बेनाम
48—चौ0 यशवीर सिंह
49—श्री रणजीत रावत
50—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
51—श्री राजकुमार
52—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
54—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
55—श्रीमती वीना महराना
56—श्री शहजाद
57—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
58—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
59—श्री सुरेन्द्र राकेश
60—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61—श्री सुरेश चन्द जैन
62—डा0 हरक सिंह रावत
63—श्री हरभजन सिंह चीमा
64—श्री हरिदास

मंगलवार, दिनांक 04 मार्च, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

नियम 310 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर चर्चा किये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और एक साथ नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप अपना–अपना आसन ग्रहण करें। (व्यवधान)

आज नियम 310 के अन्तर्गत पहली सूचना माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी, श्री प्रीतम सिंह, श्री केदार सिंह रावत, श्री करन मेहरा, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा की प्राप्त हुई है, जो प्रदेश में कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा आचार्यों/अनुदेशकों/स्वयं सेवकों की सेवायें समाप्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना, माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, श्री जोत सिंह, श्री बलबीर सिंह नेगी, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री तिलक राज बेहड़ तथा श्री रणजीत सिंह रावत की है, जो प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के निवासियों को मूल व जाति प्रमाण–पत्रों को बनवाने में आने वाली समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना, माननीय सदस्य काजी निजामुद्दीन, श्री तस्लीम अहमद, श्री हरिदास, चौ0 यशवीर सिंह तथा श्री सुरेन्द्र राकेश की है, जो जनपद हरिद्वार में पाले से नष्ट हुई फसल से उत्पन्न संकट को दैवीय आपदा घोषित करने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना, माननीय सदस्य श्री तस्लीम अहमद, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा मौ0 शहजाद की है, जो उत्तराखण्ड में शिक्षा आचार्यों, बेरोजगार फार्मासिस्टों तथा एन0टी0टी0 प्रशिक्षितों के शान्तिपूर्ण आन्दोलनों के प्रति सरकार की दमनकारी कार्यवाही से उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना, माननीय सदस्य मौ0 शहजाद एवं श्री नारायण पाल की है, जो उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को मूल निवास प्रमाण–पत्र तथा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में है।

माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी और माननीय मौ0 शहजाद जी सर्वदलीय समिति के सदस्य हैं। समिति को इस विषय पर विचार कर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करना है। चूंकि समिति इस विषय पर विचार कर रही है और इसका प्रतिवेदन सदन में अभी नहीं आया है। अतः मैं इसे नियम 310 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। यह सभी विषय ऐसे नहीं हैं कि जिन्हें नियम 310 के अन्तर्गत सुना जा सके। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जो महत्वपूर्ण विषय हैं वह कल नियम 58 में दे दें। उनकी ग्राह्यता पर विचार कर लिया जायेगा।

(व्यवधान)

कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय यशपाल आर्य जी, आप तो इस पीठ पर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के निवासियों के मूल व जाति प्रमाण–पत्रों के सम्बन्ध में गठित सर्वदलीय समिति की रिपोर्ट जब तक सदन में नहीं आ जाती, तब तक हम इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं कर सकते हैं। माननीय दिनेश अग्रवाल जी एवं माननीय मौ0 शहजाद जी इस समिति के सदस्य भी हैं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

मान्यवर, आज 03 तारांकित प्रश्न और 24 अतारांकित प्रश्न लगे हुए हैं, जोकि अतिमहत्वपूर्ण हैं।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सदन में व्यवधान उत्पन्न होने से प्रदेश की जनता के हित के प्रश्नों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। (व्यवधान) मैं सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन पूर्वाह्न 11.45 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी, आप तो सर्वदलीय समिति के सदस्य भी हैं। आपसे अनुरोध है कि जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक सदन में इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री दिनेश अग्रवाल जी, जो विषय आप उठा रहे हैं, उसे आप नियमों के अन्तर्गत दीजिए। जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में सर्वदलीय समिति को विचार करना है, जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक सदन में हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपनी बात को नियमों के अन्तर्गत उठायेंगे तो आपकी बात को अवश्य सुना जायेगा। मेरा आप सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें और प्रश्नकाल चलने दें। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य 'वेल' में आकर पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक सदन व्यवस्थित नहीं हो जाता है, 'वेल' में आए माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते हैं एवं आसन ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक 'वेल' में खड़े किसी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। मैं पुनः माननीय सदस्यों से कह रहा हूँ कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के निवासियों को मूल व जाति प्रमाण–पत्रों

के सम्बन्ध में गठित सर्वदलीय समिति की रिपोर्ट जब तक सदन में नहीं आ जाती है, तब तक इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं कर सकते हैं।

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य 'वेल' में अपनी–अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। पहले सदन को व्यवस्थित करने में सहयोग प्रदान करें।

(घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप माननीय सदस्यों को अपना आसन ग्रहण करने को कहें।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के आदेश आप पीठ से दे दें, तो हमारे माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ जायेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक कोई बात नहीं सुनी जायेगी।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मानीय अध्यक्ष जी, निकाय चुनाव निकट समय में आ रहे हैं। सरकार द्वारा जिस व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाते थे, वही व्यवस्था बहाल की जाय। इस सम्बन्ध में सदन के अन्दर भी पूर्व की व्यवस्था को बनाये रखने को कहा गया था।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप नियमों के अन्तर्गत अपनी बात को कहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम अपनी बात को नियमों के अन्तर्गत ही उठा रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक सर्वदलीय समिति की रिपोर्ट सदन में नहीं आ जाती है तब तक सदन में इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, निकाय चुनाव निकट समय में आ रहे हैं। जब कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों को जाति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। इससे लोग अपने अधिकारों से वंचित रह जायेंगे। मान्यवर, इस सम्बन्ध में पीठ से कोई निर्देश हो जाता है तो सदन व्यवस्थित हो जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपके पास जाति प्रमाण–पत्र जारी न होने के सम्बन्ध में कोई स्पेसिफिक सूचना हो तो वह उपलब्ध करा दें।

(घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यदि इस प्रकार से हम कोई स्पेसिफिक सूचना देंगे, तो उन्हीं लोगों को जाति प्रमाण–पत्र मिल पायेगा, अन्य लोग जाति प्रमाण–पत्र से वंचित रह जायेंगे।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में खड़े होकर पूर्ववत् नारेबाजी करते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप नियमों के तहत अपनी बात उठायें। जब तक सदन व्यवस्थित नहीं हो जाता, कुछ भी अंकित नहीं किया जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम नियम 310 के अन्तर्गत चर्चा की मांग कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक गठित समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक मैं चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार ने सदन में कहा था कि समिति की रिपोर्ट आने तक पूर्व की व्यवस्था लागू रहेगी, जबकि सच्चाई यह है कि वर्तमान में जाति प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये जा रहे हैं। मान्यवर, सरकार इस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप स्पेसिफिक सूचना दें कि किसका प्रमाण–पत्र नियमानुसार नहीं बनाया जा रहा है ? जब तक सदन व्यवस्थित नहीं हो जाता, कुछ भी अंकित नहीं किया जायेगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप सदस्यों से कहें कि वे अपने स्थान पर बैठें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, विगत सत्र में जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में सर्वदलीय समिति गठित की गयी थी। इस समिति का कार्यकाल वर्तमान उपवेशन के अन्तिम दिवस तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो व्यवस्था पूर्व में परिचालित थी, उसके अनुसार ही प्रमाण–पत्र जारी किये जा रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार गुमराह कर रही है। आप जिलों से सूचना मंगा लें कि विगत छः माह में कितने प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं ? (घोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में बैठकर अपनी–अपनी बातें कहते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों का प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं कर रही है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप कोई भी एक प्रकरण दे दें कि प्रमाण–पत्र नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए कार्यवाही होगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, जब आपने निर्देश दे दिया है कि कोई एक उदाहरण दे दें, तो उस पर कार्यवाही की जायेगी तब तो सदन व्यवस्थित हो जाना चाहिए।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी के 'वेल' में खड़े होकर कुछ कहने पर।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी, आप लिखित में दे दें। कृपया आप लोग अपना–अपना स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

तारांकित प्रश्न

देहरादून स्थित दून चिकित्सालय में डायलिसिस मशीनों की कमी

*1–सुश्री कैरन हिल्टन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि दून चिकित्सालय देहरादून में डायलिसिस मशीनों की नितान्त कमी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार देहरादून में गुर्दे के रोग से ग्रसित रोगियों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत् रखते हुए दून चिकित्सालय में और मशीनें स्थापित किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")–

डायलिसिस की तीन मशीनें कार्यशील हैं। रोगियों की बढ़ती हुई संख्या के दृष्टिगत् और मशीनें स्थापित किए जाने पर यथाआवश्यकता कार्यवाही की जायेगी जो वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या तथा चिकित्सक एवं चिकित्सीय सुविधाओं की उपलब्धता

*2–श्री प्रीतम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं ?

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कौन–कौन से विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ कितने चिकित्सकों की नियुक्ति का प्राविधान है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्या–क्या सुविधायें उपलब्ध कराने का प्राविधान है ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

प्रदेश में वर्तमान में 51 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं।

नोटः–उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन, नियमावली के नियम 43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

चिकित्सा इकाई में पूर्व से सृजित साधारण श्रेणी के एक अथवा दो चिकित्सकों के अतिरिक्त विशेषज्ञों में शल्यक, फिजिशियन, निश्चेतक, रेडियोलोजिस्ट, दन्त शल्यक, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ तथा आर्थोपेडिक सर्जन की नियुक्ति का प्राविधान है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मुख्यतः द्वितीयक स्तर की चिकित्सा सुविधायें यथा–शल्य चिकित्सा, काय चिकित्सा, अस्थि रोग चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग, नवजात शिशु एवं बाल रोग, रेडियोलोजी एवं दन्त रोग उपचार उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

प्रदेश में यूनानी पंजीकृत चिकित्सकों व औषधालयों का ब्यौरा

*3–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में यूनानी पद्धति के कितने स्नातक चिकित्सक पंजीकृत हैं तथा प्रदेश में कुल कितने यूनानी औषधालय स्थापित हैं ?

क्या सरकार औषधालयों में यूनानी स्नातक चिकित्सकों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

प्रदेश में यूनानी पद्धति के 67 स्नातक पंजीकृत हैं तथा प्रदेश में वर्तमान में कुल 05 (पांच) राजकीय यूनानी औषधालय स्थापित हैं।

जी हाँ।

लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने पर।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

पौड़ी अन्तर्गत बीरोंखाल स्थित राजकीय ऐलोपैथिक तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट व चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती तथा नियमित सुविधाएं

1–श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत कितने राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय तथा आयुर्वेदिक चिकित्सालय ऐसे हैं जिनमें फार्मासिस्ट के पद रिक्त हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त चिकित्सालयों में जनता को नियमित रूप से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की क्या व्यवस्था है ?

तथा कब तक उक्त चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट और चिकित्साधिकारियों की तैनाती कर दी जायेगी ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत वर्तमान समय में 05 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं 04 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट के पद रिक्त हैं।

उक्त एलोपैथिक चिकित्सालयों में एक चिकित्सक संविदा पर एवं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक आयुष विंग में कार्यरत है तथा शेष में नजदीकी चिकित्सालयों में कार्यरत फार्मासिस्टों द्वारा चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं।

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

बागेश्वर स्थित नीलेश्वर से चण्डिका तक रज्जू मार्ग की स्वीकृति

2—श्री चन्दन राम दास—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर के पर्यटन विकास हेतु नीलेश्वर से चंडिका तक रज्जू मार्ग स्वीकृत है ?

यदि नहीं तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पंत)—

जी नहीं।

परीक्षणोपरान्त।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधायकों के उपयोगार्थ सेना के डिस्पोजल वाहनों के क्रय की प्रक्रिया

3—कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"—

क्या संसदीय कार्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में विधायकगण को निजी उपयोगार्थ, सेना के पुराने डिस्पोजल वर्ग के वाहन किस प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जाते हैं एवं उक्त श्रेणी के जीप, मोटर साइकिल आदि वाहनों को क्रय करने की क्या प्रक्रिया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पंत–

जी हाँ।

रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार डिस्पोजल वाहन (आर्मी) के आवंटन हेतु निम्न प्रक्रिया है–

(1) डिस्पोजल वर्ग के वाहन क्रय करने के इच्छुक मा0 सदस्यगण भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र की पूर्ति कर विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध करायेंगे, जो जांचोपरान्त शासन के विधायी विभाग को अग्रसारित करेंगे।

(2) शासन के विधायी विभाग द्वारा ऐसे मा0 सदस्यगण के आवेदन–पत्र को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

(3) रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी आवंटन–पत्र पर मा0 सदस्यगण को आर्मी के डिस्पोजल वाहन उपलब्ध हो सकेंगे।

आवेदन–पत्र का प्रारूप व रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अनुदेश विधान सभा सचिवालय को शासन के विधायी विभाग द्वारा पत्र संख्या 336/विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग/2003, दिनांक 10 सितम्बर, 2003 द्वारा भेजे जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी स्थित द्वारगढ़ में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति

4–श्री खजान दास–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत धनौल्टी विधान सभा के ग्राम पंचायत द्वारगढ़ में वर्ष 1980 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना की गई थी ?

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में है कि स्थानीय लोगों के द्वारा तब से लगातार रा0हो0पै0चि0, द्वारगढ़ में चिकित्सालय भवन के निर्माण की मांग की जाती रही है ?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि वर्ष 1990 में स्थानीय लोगों द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भवन निर्माण हेतु भूमि भी दान स्वरूप दे दी गई थी ?

यदि हाँ, तो जनहित में रा0हो0पै0चि0, द्वारगढ़ के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

जी हाँ।

जी हाँ।

जी हाँ।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, द्वारगढ़ के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 163/XXVIII (1)—2006—167/2005, दिनांक 07 मार्च, 2006 के द्वारा धनराशि रु0 9.10 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी के विकास खण्ड थत्यूड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपकरण व स्टाफ की मांग

5—श्री खजान दास—

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मुख्यालय थत्यूड़ में निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य पिछले काफी समय से शुरू हो गया था ?

क्या यह सत्य है कि भवन के निर्माणाधीन अवधि में ही उक्त अस्पताल का लोकार्पण विगत वर्ष 2006 में कर दिया गया था ?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि थत्यूड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आज तक भी आवश्यक उपकरण एवं स्टाफ उपलब्ध नहीं है तथा आम जनता इसका लाभ नहीं उठा पा रही है ?

क्या मंत्री जी जनहित में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, थत्यूड़ में आवश्यक उपकरण एवं स्टाफ शीघ्र उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

जी हाँ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का मुख्य भवन तैयार होने पर लोकार्पण किया गया।

लघु उपकरण उपलब्ध हैं। शेष उपकरणों को मांग के आधार पर उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी, रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

यथाआवश्यकता वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु मानकों में शिथिलता एवं उच्चीकरण हेतु प्रयास

6—श्री यशपाल बेनाम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों को खुलवाने के मानकों में शिथिलता प्रदान की जा रही है।

और अन्य के उच्चीकरण हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा जनसंख्या मानक निर्धारित है। जनसंख्या मानकों में शिथिलीकरण के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

अन्य चिकित्सालयों को यथाआवश्यकता अनुसार चरणबद्ध रूप से उच्चीकृत किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

विधायक—विवेकाधीन कोष प्रारम्भ करने पर विचार

7—श्री यशपाल बेनाम—

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार विधायक—विवेकाधीन कोष प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पंत—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ की धारचूला निवासी श्रीमती जसुली शौक्यानी द्वारा निर्मित धर्मशालाओं का रखरखाव एवं उपयोग

8–श्री मयूख सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत धारचूला निवासी श्रीमती जसुली शौक्यानी द्वारा कुमायूँ तथा गढ़वाल में आज से लगभग कई साल पहले राहगीरों की सुविधा हेतु सैकड़ों धर्मशालायें बनायी गयी थीं ?

क्या उक्त धर्मशालायें ऐतिहासिक एवं पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ–साथ पर्यटन विकास हेतु उपयोगी हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके रखरखाव एवं उपयोग हेतु कोई विचार रखती है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पंत–

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के चिकित्सालयों में चिकित्सक व स्टाफ नर्सों के स्थानान्तरण व तैनाती का ब्योरा

9–श्री मयूख सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के चिकित्सालयों में सृजित पद के सापेक्ष कितने चिकित्सक व स्टाफ नर्स कार्यरत हैं तथा इस वर्ष विभाग द्वारा जनपद से कितने चिकित्सक व स्टाफ नर्सों का स्थानान्तरण अन्यत्र किया गया है ?

क्या उक्त स्थानान्तरण प्रक्रिया से रिक्त हुए पदों पर विभाग द्वारा तैनाती की गयी है ?

यदि हाँ, तो कितने ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

जनपद पिथौरागढ़ के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं स्टाफ नर्स के क्रमशः 135 व 43 पद स्वीकृत/सृजित हैं, जिनके सापेक्ष 59 चिकित्सक व 43 स्टाफ नर्स नियमित रूप से कार्यरत हैं। जिनमें संविदा पर 12 चिकित्सक एवं 06 स्टाफ नर्स हैं। विभाग द्वारा इस वर्ष 04 चिकित्सक एवं 05 स्टाफ नर्स अन्यत्र स्थानान्तरित की गयी हैं।

जी हाँ।

06 चिकित्सकों एवं 05 स्टाफ नर्सों की तैनाती रिक्त पदों पर कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

ट्रॉमा सेन्टर खोलने की सूची में पिथौरागढ़ जनपद को सम्मिलित किया जाना

10–श्री मयूख सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जनपद में स्वीकृत ट्रॉमा सेन्टर का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार की नवीन ट्रॉमा सेन्टर खोलने की सूची में जनपद पिथौरागढ़ सम्मिलित है ?

यदि हाँ, तो उक्त सेन्टर में कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

पुरोला स्थित मोरी के ग्राम दुचाणू के चिकित्सालय में डॉक्टर, स्टाफ एवं दवाओं की व्यवस्था

11–श्री राजेश जुवांठा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि पुरोला विधान सभा में विकास खण्ड मोरी के ग्राम दुचाणू में दिसम्बर, 2006 को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्वीकृत हुआ था ?

क्या यह सत्य है कि आज तक उक्त चिकित्सालय में डॉक्टर, अन्य स्टाफ एवं दवायें उपलब्ध नहीं हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में डॉक्टर, स्टाफ, दवायें आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हाँ।

आयुर्वेदिक चिकित्सालय दुचाणू (मोरी) में संविदा पर चिकित्सक की तैनाती कर दी गयी है तथा पर्याप्त मात्रा में औषधियां उपलब्ध हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी के कोट स्थित व्यासघाट का पर्यटन स्थल के रूप में विकास व पर्यटक आवास गृह के निर्माण कार्य की प्रगति

12–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के सुरम्य तपस्थली स्थल व्यासघाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा यहां पर पर्यटक आवास गृह का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, देहरादून के पत्र संख्या 1785(1)/2–6–613/2007, दिनांक 26 सितम्बर, 2007 के द्वारा क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी पौड़ी को एक सप्ताह के अन्दर सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है ?

यदि हाँ, तो क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पौड़ी से प्राप्त आख्या का विवरण क्या है तथा व्यासघाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा पर्यटक आवास गृह का निर्माण करवाए जाने के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही और प्रगति का विवरण क्या है ?

श्री प्रकाश पंत–

जी हाँ।

विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत व्यासघाट नयार नदी के तट पर अवस्थित ग्राम सभा नौगांव के अन्तर्गत आता है। व्यासघाट सतपुली एवं देवप्रयाग मोटर मार्ग से जुड़ा है तथा पर्यटक स्थल डांडा नागराजा के निकटवर्ती स्थल व्यासघाट नैसर्गिक सौन्दर्य से

परिपूर्ण स्थल है। यहां पर पर्यटकों/यात्रियों का आवागमन वर्षभर लगा रहता है। व्यासघाट में पर्यटकों/यात्रियों की सुविधा हेतु पर्यटक आवास गृह के निर्माण का आगणन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से गठित करवाया जा रहा है।

ऋषिकेश से कुन्जापुरी तक रोपवे निर्माण में नरेन्द्रनगर को भी जोड़ने की घोषणा

13—श्री ओम गोपाल—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ऋषिकेश से माँ कुन्जापुरी मंदिर तक रोपवे निर्माण की घोषणा माननीय मंत्री द्वारा कुन्जापुरी पर्यटन मेले के दौरान की गई थी ?

क्या यह भी सत्य है कि ऋषिकेश से माँ कुन्जापुरी तक रोपवे से नरेन्द्रनगर को भी जोड़े जाने की घोषणा की गई थी ?

यदि हाँ, तो कब तक यह कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पंत—

जी हाँ।

प्रस्तावित ऋषिकेश मुनिकीरेती से कुंजापुरी तक के रोपवे को नरेन्द्रनगर से जोड़े जाने के सुझाव का परीक्षण किया जाना था।

ऋषिकेश (मुनिकीरेती) से कुंजापुरी तक रोपवे के निर्माण हेतु अध्ययन तथा सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है। वन भूमि के हस्तान्तरण तथा अन्य आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण होने पर निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

14—श्री गोपाल सिंह रावत—

द्वितीय मंगलवार तक स्थगित

जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित रोपवे तथा सर्वेक्षण हेतु नियुक्त कम्पनी

15—श्री मयूख सिंह—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कुल कितने रोपवे लगाना प्रस्तावित है ?

क्या किसी कम्पनी को इस कार्य का सर्वेक्षण करने हेतु नियत किया गया है ?

यदि हाँ, तो उक्त कम्पनी द्वारा सर्वेक्षण का कार्य कितने समय में पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पंत–

जनपद पिथौरागढ़ में कुल 4 रज्जू मार्गों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

इन कार्यों का सर्वेक्षण उत्तरांचल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कम्पनी प्रा0लि0, (यू0आई0पी0सी0) से कराया जा रहा है।

यथाशीघ्र।

अल्मोड़ा के द्वाराहाट, चौखुटिया के सामु0स्वा0 केन्द्रों का उच्चीकरण

16–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सा0 स्वा0 केन्द्र द्वाराहाट एवं चौखुटिया का उच्चीकरण किया जायेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

राज्य में स्थापित ऐसे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चरणबद्ध रूप से उच्चीकरण किया जा रहा है, जहाँ पर शैय्या उपयोगिता दर 50 प्रतिशत के लगभग है। प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण पर भी तद्नुसार, भूमि व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर विचार किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग की "आशा" कार्यकर्त्रियों को मानदेय का भुगतान

17–श्रीमती आशा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रही "आशा" कार्यकर्त्री महिलाओं को नियमित रूप से मानदेय दिया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या नियमित रूप से मानदेय का भुगतान दिया जायेगा ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रही "आशा" कार्यकर्त्री महिलाओं को मानदेय दिए जाने का प्राविधान नहीं है। अपितु आशा कार्यकर्त्रियों को जननी सुरक्षा योजना सहित अन्य योजनाओं में उनके निर्धारित मानकों के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

शहीद श्रीदेव सुमन के नाम पर प्रस्तावित जनकल्याणकारी योजना

18–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या संस्कृति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन के नाम पर कोई जनकल्याणकारी योजना/सरकारी कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने की योजना/प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो प्रस्तावित योजना कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पंत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में मल्ला–बेलक–कुशकल्याण–सहस्त्रताल ट्रेकिंग रूट की निर्माण योजना

19–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में मल्ला–बेलक–कुशकल्याण–सहस्त्रताल ट्रेकिंग रूट निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो उक्त योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पंत–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नरेन्द्रनगर क्षेत्र में गंगा नदी पर रिवर राफ्टिंग कम्पनियों की संख्या एवं कम्पनियों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार

20—श्री ओम गोपाल—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नरेन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी पर कितनी रिवर राफ्टिंग कम्पनियाँ शिवपुरी, व्यासी, कौड़ियाला में राफ्टिंग कार्य कर रही हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तराखण्ड में काम कर रही राफ्टिंग कम्पनियों में स्थानीय बेरोजगारों को 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध करा रही है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इन कम्पनियों के लाइसेन्स तत्काल प्रभाव से निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रकाश पंत—

नरेन्द्रनगर विधानसभा क्षेत्र में गंगा नदी पर 58 रिवर राफ्टिंग कम्पनियाँ शिवपुरी, व्यासी, कौडियाला में राफ्टिंग कार्य कर रही हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में राज्य तथा राष्ट्रीय व्याधि निधि के तहत वर्षवार उपचार हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्योरा

21—श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कितने व्यक्तियों को राज्य व्याधि निधि के तहत निधि स्थापना से वर्षवार उपचार हेतु अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

क्या राष्ट्रीय व्याधि निधि से प्रदेश के किसी मरीज को धनराशि उपलब्ध हुई है ?

यदि हाँ, तो कितने मरीजों को कितनी धनराशि दी गई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

राज्य व्याधि सहायता निधि के तहत निधि स्थापना से अभी तक कुल 171 व्यक्तियों को उपचार हेतु निम्नवत् धनराशि उपलब्ध करायी गई है :—

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	धनराशि (रुपये)
2005–06	20	14,64,000
2006–07	64	76,76,975
1 अप्रैल, 2007 से 28 फरवरी, 2008 तक	87	79,33,620
योग	171	1,70,74,595

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय व्याधि सहायता निधि से अनुमोदन हेतु 11 प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित किये गये हैं। जिनका अनुमोदन प्रतीक्षित है।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के सृजित एवं रिक्त पदों का ब्योरा

22–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कुल कितने चिकित्सकों के पद सृजित हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ?

क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत साधारण व ज्येष्ठ श्रेणी चिकित्साधिकारी एवं दन्त चिकित्सक (श्रेणी 'क' व 'ख') के कुल 2142 पद सृजित हैं, जिनके सापेक्ष 1195 नियमित चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं तथा रिक्त पदों के विरुद्ध 168 चिकित्साधिकारी संविदा के आधार पर कार्यरत हैं।

जी हाँ।

लोक सेवा आयोग से नियमित चयन होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

23–श्री मयूख सिंह–

प्रथम सोमवार के अतारांकित 56 में स्था0।

उत्तरकाशी जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग

24–श्री गोपाल सिंह रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि उत्तरकाशी में जिला चिकित्सालय में अल्ट्रासाउण्ड विशेषज्ञ चिकित्सक न होने के कारण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में अल्ट्रासाउण्ड विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति यथाशीघ्र करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सचल चिकित्सा वाहन के माध्यम से अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा शीघ्र ही प्रदान की जायेगी।

लोक सेवा आयोग से चयनित होने पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर एक साथ अपनी बात कहने लगे जिसके कारण सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

जब तक सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर नहीं चले जाते, तब तक इनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

("वेल" में खड़े सभी माननीय सदस्य वेल में बैठकर नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) अध्यादेश, 2008 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूँ कि–

(1) उत्तराखण्ड विनियोग (2007–2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 नवम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2007 का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007

(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2007 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 30 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2007 का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

(3) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2007 का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007

(4) उत्तराखण्ड पुलिस विधेयक, 2007, प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित जो विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2007 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2008 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2008 का पहला अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट में स्थित नहासैंण पट्टी बनेलस्यूँ में चिकित्सालय/डिस्पैन्सरी खोलने के सम्बन्ध में याचिका

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट में स्थित नहासैंण, पट्टी बनेलस्यूँ में प्राथमिक चिकित्सालय/डिस्पैन्सरी खोलने के सम्बन्ध में" श्री मकान सिंह बिष्ट पुत्र श्री कल्याण सिंह एवं अन्य निवासीगण, ग्राम डडोगी, बनेलस्यूँ, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा याचिका उपस्थित नहीं की गयी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा याचिका उपस्थित नहीं की गयी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा याचिका उपस्थित नहीं की गयी।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री प्रेमानन्द महाजन की कुल दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं इन दोनों सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तुणखाल, हीराखाल, बखण्डी हल्का वाहन मार्ग को पक्का करने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत तुणखाल, हीराखाल, बुखण्डी हल्का वाहन मार्ग पर कई वर्षों से यातायात गतिमान है। मार्ग अत्यन्त तंग व जगह–जगह क्षतिग्रस्त है, हल्का वाहन मार्ग होने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा इसका रख–रखाव का कार्य भी तत्परता से नहीं किया जाता है। जिससे मार्ग अक्सर अवरुद्ध रहता है। स्थानीय जनता द्वारा ही मार्ग की मरम्मत की जाती है। अन्य कोई मोटर मार्ग न होने के कारण इसी मोटर मार्ग से ही जनता का जीपों के द्वारा आवागमन होता है। इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। उपरोक्त मोटर मार्ग से अनुसूचित जाति के एक हजार जनसंख्या वाले गांव को भी जोड़ा जा सकेगा। लेकिन बार–बार अवगत कराने के पश्चात् भी शासन–प्रशासन का ध्यान उक्त मोटर मार्ग हल्का वाहन की ओर नहीं है।

अतः उक्त तात्कालिक, अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर उपरोक्त मोटर मार्ग को हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग के निर्माण, पक्कीकरण एवं बुकन्डी तक विस्तार के लिए सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करती हूँ।

(माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 58 के अन्तर्गत श्री केदार सिंह रावत, श्री रणजीत सिंह रावत एवं श्री मनोज तिवारी, चौ0 यशवीर सिंह, श्री प्रेमानन्द महाजन तथा श्री नारायण पाल की कुल चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री मुन्ना सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 03 मार्च, 2008 को दिये गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 53 के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 39 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

महेश चन्द्र
सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

देहरादून
दिनांक 04 मार्च, 2008

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 19 विधान सभा / 498–4–12–2008–200 प्रतियां (कम्प्यू0 / रीजियो)।